INDUSTRIES DEPARTMENT

The 27th March, 1978

No. 27/20/78-Industries-2(I)B(I).—In pursuance of the provisions of sub-section (I) of section 7 of the State Financial Corporations Act, 1951 (Act LXII of 1951), the Governor of Haryana on the recommendations of the Board of Directors of the Haryana Financial Corporation based upon the advice of the Reserve Bank of India, hereby guarantee the repayment of the principal and payment of interest at 6¼ per cent per annum in respect of the 14th issue of the Bonds of value up to Rs. 55·00 lakhs (Rupees fifty five lakhs only) by the Haryana Financial Corporation in year 1978 at the issue price of Rs. 98·85 for every Rs. 100 maturing on the expiry of ten years.

V. K. SIBAL, Commr. & Secy.

REVENUE DEPARTMENT

The 23rd March, 1978

No. 1575-AR(5)-78/8592.—In partial modification of the Schedule to the Haryana Government. Revenue Department Notification No. 5600-AR(5)-77/24749, dated the 30th September, 1977, "Shri Mahendra Singh, son of Shri Umrao Singh of village Dublana, tehsil Narnaul," is nominated as a non-official in place of "Shri Dalip Singh Advocate" appearing at Serial No. 2 of Sub-Division Narnaul (district Mohindergarh).

No. 1575-AR(5)-78/8598.—In the Schedule to the Haryana Government, Revenue Department Notification No. 5600-AR(5)-77/24749, dated the 30th September, 1977, "Shri Bool Chand, Sarpanch, Mustphabad" may be read in place of "Shri Phool Chand, Sarpanch, Mustphabad" appearing at Sr. No. 4 of Sub-Division Jagadhri (District Ambala).

P. P. CAPRIHAN, Secy.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 10 मार्च, 1978

क्र० 177-ज(II)-78/7217.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फसल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
						रुपये
1	सोनीपत	श्री राम सरूप, पुत्र श्री कुड़ा	महमूदपुर	गोहाना	रबी, 1966 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ, 1970 से	150
2	,,	श्री चन्द्र सिंह, पुत्र श्री श्री जय लाल	मोई हुडा	,,	रबी, 1973 से	150

क्रमांक 274-ज(I)-78/7222.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3 (1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों

का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रुपये
1	अम्बाला	श्री सावन सिंह, पुत्र श्री चेत सिंह	नसरौली	नारायणगढ़	रबी, 1973 से	150
2	,,	श्री बखशीश सिंह, पुत्र श्री बहादुर सिंह	भढ़ोग	नारायणगढ़	रबी, 1973 से	150

दिनांक 16 मार्च, 1978

क्रमांक 3236-ज(I)-77/7799.--श्री दिवान सिंह, पुत्र श्री उजागर सिंह, गांव कोड़वा खुर्द, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, की युद्ध जागीर, जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 19773-जे० एम० III-66/21126, दिनांक 18 अक्टूबर, 1966 तथा 5041-आरIII-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा खरीफ, 1965 से 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ 1970 से 150 रुपये वार्षिक की दर से मंजूर की गई थी, रबी 1967 से मंसूख की जाती है।

दिनांक 20 मार्च, 1978

क्रमांक 373-ज(II)-78/8159.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती साधो देवी, विधवा श्री अन्तु राम, गांव धरौंडा, तहसील व जिला करनाल, को रबी, 1976 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 29 मार्च, 1978

क्रमांक 371-ज(I)-78/9125.—श्री चिरंजी लाल, पुत्र श्री देवी सहाय, निवासी नजदीक बस स्टैण्डज, भिवानी, तहसील व जिला भिवानी, की दिनांक 16 दिसम्बर, 1977 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री चिरंजी लाल की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1792-आर 4-68/1438, दिनांक 2 सितम्बर, 1968 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर(III)-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भरतो देवी के नाम खरीफ़, 1978 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

दिनांक 30 मार्च, 1978

क्रमांक 389-ज(I)-78/9226.—श्री श्योकरण, पुत्र श्री जी सुख, गांव कालूवास, तहसील व जिला भिवानी, की दिनांक 7 मई, 1971 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री श्योकरण की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 12341-जे.-एल.-(III)-66/10965, दिनांक 16 दिसम्बर, 1965 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती पतोरी के नाम खरीफ़, 1974 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

आर० एन० सिंगल,
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।